

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

सरफेसी वाद सं०-105/2022-23

PUNJAB NATIONAL BANK

बनाम्

M/S ABHIKRITI ENTERPRISES

—: आदेश :—

08.06.2023

प्राधिकृत पदाधिकारी, PUNJAB NATONAL BANK,
JAINAMORE BRANCH, BOKARO द्वारा धारा 14 (1) and (2) OF
THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF
FINANCIAL ASSESTS AND ENFORCEMENT OF SECURITY
INTEREST ACT 2002 (SARFAESI) के तहत विपक्षी M/S
ABHIKRITI ENTERPRISES, Prop. Sri Manoj Kumar & Smt.
Neera Devi, At- Qtr. No. 1548, Sector-12/A, P.O. & P.S.- Sector
12 Bokaro-827012 के विरुद्ध बैंक में गिरवी रखे गए
सम्पत्ति/भूमि पर दखल-कब्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र
दाखिल किया गया है।

फलस्वरूप उक्त एक्ट के तहत कार्रवाई प्रारंभ करते हुए
उभय पक्षों को अपना अपना पक्ष रखने के लिए सूचित किया
गया।

प्रथम पक्ष Punjab National Bank की ओर से विद्वान
अधिवक्ता के द्वारा दलील दिया गया कि विपक्षी ने अपनी
निम्नांकित सम्पत्ति (1. All part and parcel of property consisting
land, building and structure thereon situated at Mouza- Katka,
P.S - Jaridih, Thana No. 30/195, Bokaro Khata No. 112, Plot
No. 31, 18, 19, 20, 10, 9 and 8 Total Area 1 Acre in the name of
Smt. Neera Devi W/o Sri Manoj Kumar vide deed no. 4186 dt.
25.04.2011. 2. All part and parcel of property consisting land,
building and structure thereon situated at Mouza- Katka, P.S.-
Jaridih, Thana No. 30/195, Bokaro Khata No. 112, Plot No. 12,
21, 23, 26, 29, 31, 08, 09 Total Area 1.20 Acre in the name of
Sri Manoj Kumar S/o Sri Ram Sundar Sharma vide deed no.
3830 dt. 31.03.2010.) को गिरवी रखते हुए बैंक से 50,00,000.00
(पच्चास लाख) रुपये ऋण लिया गया था जिसे अब तक उनके
द्वारा नहीं चुकाया गया है। उनके द्वारा ऋण की वापसी में


08.6.23

अनियमितता बरती गई है, जिसके कारण ऋणकर्ता का खाता दिनांक-31.12.2021 को ही एन0पी0ए0 हो गया है। वर्तमान में ऋणकर्ता पर कुल रुपये 51,30,015.96 के साथ ब्याज एवं अन्य शुल्क का बकाया है। ऋण की वापसी हेतु बैंक के द्वारा SARFAESI ACT-2002 के विभिन्न धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई के बावजूद भी विपक्षी की ओर से बकाया राशि की वापसी की दिशा में कोई पहल नहीं किया गया है। फलस्वरूप SARFAESI ACT-2002 की धारा-14 (1) & (2) के तहत विपक्षी की सम्पत्ति पर दखल-कब्जा प्राप्त करने में शांति व्यवस्था भंग नहीं हो इसके लिए उनके द्वारा दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल की माँग की गई है।

विपक्षी सुनवाई के दौरान पुकार पर अनुपस्थित थे। उन्हें निबधित डाक से नोटिस तामिला हेतु भेजा गया था, किन्तु नोटिस बिना तामिला के ही वापस हो गया। फलस्वरूप उन्हें स्थानीय रागाचार पत्र के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होने के लिए सूचित किया गया, उसके बाद भी वह सुनवाई के दौरान न्यायालय में अनुपस्थित रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि उन्हें अपने बचाव में कुछ भी नहीं कहना है।

प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा दाखिल आवेदन पत्र, अभिलेख में संधारित कागजात एवं विद्वान अधिवक्ता के दलील के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि ऋण की वापसी हेतु बैंक के द्वारा SARFAESI ACT-2002 के विभिन्न धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई की गई। बावजूद इसके विपक्षी के द्वारा बकाया ऋण वापसी की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया और न ही उनके द्वारा अब तक ऐसा कोई आधार/साक्ष्य प्रस्तुत किया गया, जिससे प्रतीत हो कि उनके द्वारा ऋण की राशि वापस कर दी जाएगी। विपक्षी का लगातार न्यायालय में अनुपस्थित रहना उनके ऋण न चुकाने की मंशा को दर्शाता है।

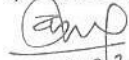
वर्णित परिस्थिति में SARFAESI ACT-2002 की धारा 14(1) एवं (2) निहित प्रावधानों के तहत प्राधिकृत पदाधिकारी PUNJAB NATONAL BANK, JAINAMORE BRANCH, BOKARO द्वारा किए गए अनुरोध पर प्रश्नगत सम्पत्ति/भूमि पर दखल-कब्जा प्राप्त करने



के क्रम में शांति भंग न हो इसके लिए विधि-व्यवस्था संधारण हेतु पुलिस अधीक्षक, बोकारो एवं संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

तदनुसार संबंधित को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।


08.6.23

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।


08.6.23

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।